थाना प्रेमनगर, बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 22.04.2026

थाना प्रेमनगर #bareillypolice द्वारा 03 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र फैक्ट्री सहित किया गया गिरफ्तार, कब्जे से निर्मित/अर्द्धनिर्मित शस्त्र बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.04.2026 की रात्रि को थाना प्रेमननगर पुलिस द्वारा की जा रही रात्रि गश्त/चैकिंग के दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि 03 व्यक्ति जनकपुरी पुरानी रेलवे लाईन के पास अवैध तमंचे बना रहे है। सूचना पर थाना प्रेमनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंचकर तीनो व्यक्तियो अवैध शस्त्र फैक्ट्री सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 170/26 धारा 5/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

सूचना , पुलिस टीम एंव कार्यवाहीः-

दिनांक 21.04.26 की रात्रि को थाना प्रेमननगर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त/चैकिंग के दौरान मुखविर ने सूचना दी कि 03 व्यक्ति जनकपुरी पुरानी रेलवे लाईन के पास अवैध तमंचे बना रहे है। सूचना पर थाना प्रेमनगर, पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा कि 03 व्यक्ति अवैध तमंचे बना रहे है तथा एक स्थान पर कोयले की आग जला रखी है। मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा अपने अपने हाथो मे हथौडा व तमंचा पकडे हुये मरम्मत कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दबिश देकर 03 अभि0गण 1. संजय गंगवार पुत्र सेवाराम गंगवार उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पिपौली थाना शेरगढ जिला बरेली 2. तेजपाल पुत्र देवेन्द्रपाल निवासी ग्राम पिपौली थाना शेरगढ जिला बरेली उम्र 36 वर्ष 3. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र लाल्ताप्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पिपौली थाना शेरगढ जिला बरेली को 22.04.26 को समय 01.20 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मौके पर 05 बने अधबने अवैध देशी तमंचा, जिनमे 01 तमंचा अवैध 315 बोर अधबना, 03 तमंचे अवैध .315 बोर बने, 01 तमंचा 12 बोर बना, 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 170/26 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ एंव अभियुक्तगण का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम सभी कम पढ़े लिखे, हमारे द्वारा अवैध तमंचे का निर्माण कर बेच देते थे। बेचने पर जो भी मुनाफा होता था, उसको हम आपस में बांट लेते थे। इसी से हम तीनो अपना व अपने परिवार का खर्चा चलाते है। रात भी हम तीनो तमंचे बना रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अभियुक्त संजय गंगवार पुत्र सेवाराम गंगवार नि0 ग्राम पिपौली थाना शेरगढ जिला बरेली
2. तेजपाल पुत्र देवेन्द्रपाल निवासी ग्राम पिपौली थाना शेरगढ जिला बरेली
3. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र लाल्ताप्रसाद उम्र 32 वर्ष नि0 ग्राम पिपौली थाना शेरगढ, बरेली

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0- 170/26 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना प्रेमनगर बरेली।

बरामदगी का विवरण –

1. 05 बने अधबने अवैध देशी तमंचा, जिनमे 01 तमंचा 315 बोर अधबना, 03 तमंचे अवैध .315 बोर बने व 01 तमंचा अवैध 12 बोर बना
2. 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. शस्त्र बनाने के उपकरण (तीन आरी ब्लेड, एक आरी ब्लेड सहित, एक छेनी, 05 नाल लोहा, एक सुम्मी, 05 बेल्डिंग राड, एक घिसने वाली पथरी, एक रेगमाल, एक पालीथीन मे छोटी बडी कीले, एक हाथ का पंखा व एक छेनी आदि)

पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक अपराध श्री सुरेन्द्र कुमार थाना प्रेमनगर बरेली।
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना प्रेमनगर बरेली।
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना प्रेमनगर बरेली ।
4. उ0नि0 श्री अक्षय त्यागी थाना प्रेमनगर बरेली ।
5. हे0कां0 183 बलवीर कर्दम थाना प्रेमनगर बरेली।
6. हे0कां0 777 नंदकिशोर थाना प्रेमनगर बरेली।
7. हे0कां0 731 यश कुमार थाना प्रेमनगर बरेली।
8. का0 2882 मनीष धामा थाना प्रेमनगर बरेली ।
9. का0 3720 अनुराग थाना प्रेमनगर बरेली ।